

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.1263 (अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 32/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन सा. का. नि. 595 (अ), तारीख 29 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 13/2018-एकीकृत कर (दर), तारीख 29 जून, 2018, द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2018

No. 23/2018-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 744(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 32/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1263 (E), dated the 13th October, 2017, and last amended vide notification No. 13/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 29th June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 595 (E), dated the 29th June, 2018, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words “30th day of September, 2018”, the figures, letters and words “30th day of September, 2019” shall be substituted.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note : The principal notification No. 32/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 13th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1263(E), dated the 13th October, 2017 and last amended vide notification No. 11/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 29th June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 595(E), dated the 29th June, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2018

सं. 22/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 745(अ).—केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सा.का.नि. सं. 717(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 और जिसको सा.का.नि. सं. 596(अ), तारीख 29 जून, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 29 जून, 2018, द्वारा अंतिम बार संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “30 सितम्बर, 2018” अंकों और शब्द के स्थान पर “30 सितम्बर, 2019” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्टी)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 717(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 8/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन सा.का.नि. 596(अ), तारीख 29 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.12/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 29 जून, 2018, द्वारा किया गया था।